

अनुसूची-1 (अद्यतन)
(सूचना देखें धारा-2(अ))
अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (EBC)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. कपरिया | 27. गौड़ |
| 2. कानू | 28. घांय |
| 3. (कवार)/विलोपित | 29. चपौता |
| 4. कलन्दर | 30. घनद्वंशी (कहार, कमकर) |
| 5. कोछ | 31. टिकुलहार |
| 6. कुर्मी (महतो)
(झारखंड स्वशासी क्षेत्र) | 32. डेकारु |
| 7. केवट (कउट) | 33. तांती (ततवा) |
| 8. कादर | 34. तमरिया |
| 9. कोरा | 35. तुरहा |
| 10. कोरक | 36. तियर |
| 11. केवर्त | 37. (थारु)/विलोपित |
| 12. (कुमारभाग पहाड़िया)/विलोपित | 38. धानुक |
| 13. खटवा | 39. धामिन |
| 14. (खरवार सिमान एवं रोहतास जिले में)/विलोपित | 40. धीमर |
| 15. खतौरी | 41. धनवार |
| 16. खंगर | 42. नोनिया |
| 17. खटिक | 43. नझ्या |
| 18. खेलटा | 44. नाई |
| 19. खतवे | 45. नामशुद्र |
| 20. (खोन्द)/विलोपित | 46. पाण्डी |
| 21. गोड़ी (छावी) | 47. पाल (भेड़िहार गढ़ेरी) |
| 22. गमाई (नगेश) | 48. प्रधान |
| 23. गंगोला | 49. पिनगनिया |
| 24. गोड़ या गौड़
(रतारण तथा रोहतास जिले में) | 50. पहिरा |
| 25. गंधर्व | 51. वारी |
| 26. गुलगुलिया | 52. बैलदार |
| | 53. शिन्द |

54. (बगुजारा) / विलोपित
55. सेखड़ा
56. बागदी
57. मुईयार
58. भार
59. (मुइया) / विलोपित
60. भास्कर
61. माली (मालाकार)
62. मांगर
63. मदार
64. मल्लाह (सुरहिया)
65. मझार
66. मारकण्डे
67. मोरियारी
68. मलार (मालहोर)
69. मौलिक
70. राजघोबी
71. राजभर
72. रंगवा
73. बनपर
74. (वेदिया) / विलोपित
75. सौटा (सोता)
76. संतराश (केवल नवादा जिले के लिए)
77. (अगरिया) / विलोपित
78. अघोरी
79. अबदल
80. कसाब (कसाई) (मुस्लिम)
81. चीक (मुस्लिम)
82. डफाली (मुस्लिम)
83. घुनिया (मुस्लिम)
84. घोबी (मुस्लिम)
85. नट (मुस्लिम)
86. पमरिया (मुस्लिम)
87. गठियारा (मुस्लिम)
88. गोट (मुस्लिम)
89. नेहतर, लालबेगीया,
हलालखोर, मंगी (मुस्लिम)
90. मिरियासीन (मुस्लिम)
91. मदारी (मुस्लिम)
92. मोरशिकार (मुस्लिम)
93. साई/फकीर/दिबान/मदार (मुस्लिम)
94. मोमिन (मुस्लिम)(जुलाहा/अंसारी)
95. अमात
96. चुड़ीहार (मुस्लिम)
97. प्रजापति (कुम्हार)
98. राईन या कुजरा (मुस्लिम)
99. सोयर
100. ठकुराई (मुस्लिम)
101. नागर
102. शेरशाहवादी
103. बकखो (मुस्लिम)
104. अदरखी
105. छीपी
106. लिली
107. इंदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
108. सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)
109. रंगरेज (मुस्लिम)
110. सिंदुरिया बनिया
111. मुकैरी (मुस्लिम)
112. ईटफरोश, ईटाफरोश, गदहेड़ी,
ईटपज, इब्राहिमी (मुस्लिम)

अनुसूची-2 (अद्यतन)
(कृपया देखें धारा (ज))
पिछड़े वर्गों की सूची (Bc)

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1 | (अमात)/विलोपित | 33. | ईसाई धर्मावलम्बी(हरिजन) |
| 2 | कागजी | 34. | ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति) |
| 3 | कमार (लोहार और कर्मकार) | 35. | कुर्मी (महतो) |
| 4 | कुशवाहा (कोईरी) | 36. | भाट (हिन्दू) |
| 5 | कोस्ता | 37. | दांगी |
| 6 | गद्दी | 38. | कुल्हैया |
| 7 | घटवार | 39. | जट (हिन्दू) |
| 8 | (धूडीहार), (मुस्लिम) /विलोपित | | सहरसा, सुपौल, मधेपुरा,
और अररिया जिला के लिए, |
| 9 | चनउ | 40. | जट (मुस्लिम) |
| 10 | जदुपतिया | | मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी,
खगड़िया एवं अररिया जिला
के लिए । |
| 11 | जोगी (जुगी) | 41. | मड़रिया (मुस्लिम) |
| 12 | तमोली | | (मात्र भागलपुर जिला के सन्हीला
प्रखण्ड एवं बाँका जिला के धौरैया
प्रखण्ड के लिए) |
| 13 | तेली | 42. | दोनवार (केवल मधुबनी और
और सुपौल जिलों के लिए) |
| 14 | देवहार | 43. | सूरजापुरी- मुस्लिम (केवल
पूरिया, कटिहार, किशनगंज एवं
अररिया जिलों के—(शेख,
सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान
को छोड़कर) |
| 15 | नालबंद (मुस्लिम) | | |
| 16 | (प्रजापति) (कुम्हार)/विलोपित | | |
| 17 | परधा | | |
| 18 | बड़ई | | |
| 19 | बड़ई | | |
| 20 | बनिया (सूखी हलवाई, मोदक, मायरा,
रीनियार, पनसारी,, मोदी, कसेरा, केशरवारी,
छठेरा, कलवार, (विहायुत कलवार)
कलाल एराबी, पटवा, कमलापुरी
वैश्य, माडुसी, वैश्य, अवध बनिया, बग्गी
वैश्य (बंगाली बनिया), बर्गवाल,
अग्रहरा वैश्य, (पोद्दार), कसीधन,
गंधबनिक, माधम वैश्य-गोलदार (पूर्वी-पश्चिमी
वर्णपारण हेतु), कैथल वैश्य/कथ बनिया,
सामरी वैश्य । | | |

- 21 (मुकैरी) (मुस्लिम)/विलोपित
 - 22 यादव (ग्वाला, अहीर, गौरा, घासी, मेहर), सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला
 - 23 राजवंशी (रितिया या पोलिया)
 - 24 (रंगरेज) (मुस्लिम)/विलोपित
 - 25 रौतिया
 - 26 (राईन या कुंजरा) (मुस्लिम)/विलोपित
 - 27 लहेड़ी
 - 28 शिवहरी
 - 29 सोनार
 - 30 सूत्रधार
 - 31 सुकियार
 32. (इदरीसी या दर्जी) (मुस्लिम)/विलोपित
नोट— उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दु तथा मुसलमान दोनों जाति का सम्झना चाहिए, जैसे—तेली में दोनों हिन्दु तथा मुसलमान तेली
-
1. बिहार (संशोधन) अधिनियम-7/1994 द्वारा अनुसूची-2 के क्रमांक-36 भाट (हिन्दू) अंक, कोष्टक एवं शब्द जोड़ा गया ।
 2. बिहार (संशोधन) अधिनियम-6/1996 द्वारा अनुसूची-2 में क्रमांक 36 के बाद 37 दांगी एवं क्रमांक-20 में शब्द " पोद्दार " के बाद शब्द " कसीधन " तथा क्रमांक 1,8,16,21,24,26 एवं 32 पर अंक कोष्टक एवं शब्द विलोपित ।
 3. संकल्प संख्या-135, दिनांक-4.9.96 द्वारा अनुसूची-2 में क्रमांक-38 पर कुलहैया अंकित ।
 4. संकल्प संख्या-110, दिनांक-24.7.97 द्वारा अनुसूची-2 के क्रमांक-20 पर बनिया वर्ग अन्तर्गत कसीधन के बाद गंधबनिक सम्मिलित ।
 5. संकल्प संख्या- 34, दिनांक-17.3.98 द्वारा क्रमांक-32 " इदरीसी या दर्जी " (मुस्लिम) विलोपित ।
 6. संकल्प संख्या-79, दिनांक-22.12.2000 द्वारा अनुसूची-2 के क्रमांक-20 पर बनिया की अन्य उप जाति कलवार के बाद कोष्टक में " विहायुत कलवार " अंकित ।
 7. संकल्प संख्या-328, दिनांक-22.12.2000 द्वारा अनुसूची-2 के क्रमांक-22 में यथा अंकित कोष्टक में ग्वाला, अहीर, गौरा, घासी, मेहर एवं सदगोप के बाद " लक्ष्मी नारायण गोला " उप जाति सम्मिलित ।

बिहार की अनुसूचित जातियों की सूची			
** समुचे बिहार राज्य में **			
बांतर	नट	हलालखोर	डोम या धनगद
<u>बाउरी</u>	<u>पान या स्वासी</u>	हाड़ी (मेहतर या भंगी सहित)	दुसाध(धारी या धरही सहित)
भोगता	पासी	कंजर	धासी
चमार या मोची	रजवार	<u>कुरारिया</u>	धोबी
चौपाल	<u>तुरी</u>	लालबेगी	
दबगर	भुइयां	मुसहर	
बिहार की अनुसूचित जन-जातियों की सूची			
** समुचे बिहार राज्य में **			
असुर	<u>माल पहाड़िया</u>	खरवार	<u>गोड</u>
बेगा	मुंडा	<u>खोन्द</u>	गोड़ाइत
बनजारा	उरांव	<u>किसान</u>	हो
<u>बथुदो</u>	परहैया	कोड़	<u>करमाली</u>
<u>बेदिया</u>	संताल	कोरवा	<u>खड़िया</u>
<u>बिड़िया</u>	<u>सौरिया पहाड़िया</u>	लोहारा या लोहरा	
बीरहोर	सेवार	<u>महली</u>	
<u>बिरजिया</u>	चेरो	चीक बड़ाइक	